

अधिकारी राज्य राजकार्य में होने से प्रकरण दिनांक 25/09/25 को पेश हों।

आज्ञा से

रीडर

25/09/25

अधिवक्ताओं की आज होने से यह प्रकरण वास्ते सुनवाई, दिनांक 29/09/25 को पेश हों।

रीडर

29.9.25.

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थना अधिवक्ता के आवेगों के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुए तथा मूल प्रकरण में खरिज हो चुका है। जितने इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रार्थना पर आदेश नियम 8 के तहत अदम टाजरी - अदम में खरिज किया जाता है। निर्णय स्पेडिजलम सुनाया गया प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अबुना साई कृष्ण)
IAS